विषय सूची			
क्र. सं.	**विषय**	**पैराग्राफ**	**पृष्ठ**
1.	प्राक्कथन		v
2.	कार्यकारी सार		vii
अध्याय-I राज्य सरकार के वित्त			
3.	राज्य की रूपरेखा	1.1	1
4.	वित्त लेखाओं 2018-19 के अनुसार राज्य के संसाधन	1.2	9
5.	राजस्व प्राप्तियां	1.3	11
6.	पूंजीगत प्राप्तियां	1.4	25
7.	लोक लेखा प्राप्तियां	1.5	28
8.	संसाधनों का अनुप्रयोग	1.6	29
9.	व्यय की गुणवत्ता	1.7	36
10.	सरकार के पूंजीगत व्यय तथा निवेश का वित्तीय मूल्यांकन	1.8	39
11.	परिसंपत्तियां तथा देयताएं	1.9	45
12.	ऋण प्रबंधन	1.10	51
13.	राजकोषीय असंतुलन	1.11	58
14.	निष्कर्ष	1.12	64
अध्याय-II वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण			
15.	प्रस्तावना	2.1	67
16.	विनियोजन लेखाओं का सार	2.2	68
17.	वित्तीय जवाबदेही तथा बजट प्रबंधन	2.3	69
18.	वित्तीय आकड़ों का गैर-समेकन	2.4	79
19.	बजटीय विश्लेषण की समीक्षा के परिणाम	2.5	80
20.	कोषागारों की कार्यप्रणाली में पाई गई कमियां	2.6	84

21.	लेखा/रक्षा/रेलवे कार्यालयों द्वारा पेंशन आदि की प्रतिपूर्ति न होना	2.7	85
22.	चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम	2.8	86
23.	निष्कर्ष	2.9	88
अध्याय-III वित्तीय रिपोर्टिंग			
24.	लेखाकंन मानको का अनुपालन	3.1	91
25.	संक्षिप्त आकस्मिक (एसी) बिलों के प्रति विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डीसी) बिलों की प्रस्तुति में लम्बन	3.2	92
26.	उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब	3.3	94
27.	वार्षिक लेखाओं की गैर-प्रस्तुति/विलम्ब से प्रस्तुति होना	3.4	96
28.	विभागीय प्रंबंधित वाणिज्यिक उपक्रम	3.5	98
29.	सरकारी लेखाओं में अपारदर्शिता	3.6	99
30.	ठेकेदारों को बकाया देयता	3.7	100
31.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	3.8	100
32.	निष्कर्ष	3.9	101
परिशिष्ट			
33.	जम्मू एवं कश्मीर की रूपरेखा	**परिशिष्ट 1.1**	103
34.	भाग क: संरचना तथा सरकारी लेखाओं के प्रपत्र	**परिशिष्ट 1.2**	105
	भाग ख: वित्त लेखाओं का प्रारूप		105
35.	राजकोषीय स्थिति के आकलन के लिए अपनाई गई पद्धति	**परिशिष्ट 1.3**	107
36.	राज्य सरकार के वित्त पर समय श्रृंखला डाटा	**परिशिष्ट 1.4**	109
37.	वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के लिए प्राप्तियों तथा संवितरणों का सार	**परिशिष्ट 1.5**	112
	31 मार्च 2019 को जम्मू एवं कश्मीर सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति		115
38.	जम्मू एवं कश्मीर राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2006	**परिशिष्ट 1.6**	117
39.	एफआरबीएम अधिनियम तथा नियमों का कार्यान्वयन	**परिशिष्ट 1.7**	120

40.	केंद्रीय योजना निधियों का राज्य की क्रियान्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्ष हस्तांतरण। (राज्य बजट के बाहर दी गई निधियां) (अलेखापरीक्षित आंकड़ें)	**परिशिष्ट 1.8**	124
41.	14वें वित्त आयोग के अधिनिर्णय के अंतर्गत सहायता अनुदान अनुमानों/ निर्गमों की स्थिति	**परिशिष्ट 1.9**	136
42.	नियमितीकरण हेतु वित्त विभाग के पास लंबित वर्ष 1980-81 से 2017-18 के लिए अतिरिक्त व्यय का वर्ष-वार विवरण	**परिशिष्ट 2.1**	137
43.	विभिन्न अनुदानों/ विनियोजनों का विवरण जहाँ आधिक्य व्यय किया गया	**परिशिष्ट 2.2**	139
44.	विभिन्न अनुदानों/ विनियोजनों का विवरण जहाँ कुल प्रावधान में से ₹एक करोड़ से अधिक या 20 प्रतिशत से अधिक की बचत थी।	**परिशिष्ट 2.3**	140
45.	अनावश्यक अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन के मामले	**परिशिष्ट 2.4**	143
46.	विभिन्न अनुदानों/ विनियोजन का विवरण जहाँ ₹एक करोड़ से अधिक का अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त था।	**परिशिष्ट 2.5**	144
47.	₹एक करोड़ तथा उससे अधिक अभ्यर्पित नहीं करने पर बचत का विवरण	**परिशिष्ट 2.6**	145
48.	₹एक करोड़ से अधिक के अप्रयुक्त रहे प्रावधानों का विवरण	**परिशिष्ट 2.7**	148
49.	अनुदान संख्या 07 एवं 22 में अभ्यर्पित नहीं की गई महत्वपूर्ण बचतों के मामले दर्शाता विवरण	**परिशिष्ट 2.8**	150
50.	अनुदान संख्या 07 एवं 22 में बिना बजटीय प्रावधान के किए गए व्यय के मामले दर्शाता विवरण	**परिशिष्ट 2.9**	152
51.	अनुदान संख्या 07 एवं 22 में अप्रयुक्त रहे अनुदान को दर्शाता विवरण	**परिशिष्ट 2.10**	153
52.	मार्च 2019 को समाप्त प्रमुख शीर्ष-वार बकाया विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डीसी) बिलों को दर्शाता विवरण	**परिशिष्ट 3.1**	154

53.	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अंतर्गत लेखापरीक्षा से संबंधित प्रतीक्षित वार्षिक लेखाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण	**परिशिष्ट 3.2**	157
54.	विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक तथा अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखाओं तथा सरकारी निवेश को अंतिम रूप देने की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण	**परिशिष्ट 3.3**	160
55.	शब्दावली	**परिशिष्ट 4**	163